संख्या-2/2018/301/29-6-2018-162सा0/01

प्रेषक,

डा0 अशोक चन्द्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
(2) समस्त जिलापूर्ति अधिकारी,उ0प्र0।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2018

विषय- उ0प्र0 मिटटी का तेल नियंत्रण (उन्नीसवां संशोधन) आज्ञा,2018लागू होने के फलस्वरूप मिटटी तेल के फुटकर विक्रेताओंको उचित दर दुकानों में समायोजन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर विक्रेताओं के चयन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-2714/29-6-2002-162सा0/2001, दिनांक 17-8-2002, शासनादेश संख्या-2715/29-6-2002-162सा0/2001, दिनांक 17-8-2002 एवं समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशोंका कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 मिटटी का तेल नियंत्रण (उन्नीसवां संशोधन) आज्ञा,2018 लागू होने के फलस्वरूप शहरी क्षेत्रों में जहां-जहां रिक्त दुकानों के सापेक्ष नवीन दुकानों के आवंटन हेतु कार्यवाही की जा रही है, वहॉ शासनादेश संख्या-2714/29-6-2002-162सा0/2001, दिनांक 17-8-2002 (यथा संशोधित) द्वारा निर्दिष्ट अन्य व्यवस्थाओं सहित आरक्षण इत्यादि का पालन करते हुए कार्यरत फुटकर मिटटी तेल विक्रेता जिनकी ख्याति एवं कार्यप्रणाली अच्छी रही हो, विक्रेता की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किये जाने की स्थिति में लाटरी से छूट प्रदान करते हुए उचित दर विक्रेता नियुक्त किये जायें। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के मिटटी तेल के फुटकर विक्रेता जिस ग्राम पंचायत के स्थायी निवासी हैं, यदि उस ग्राम पंचायत में 4000 से अधिक यूनिट सम्बद्ध हों, तो वहॉ पर अतिरिक्त दुकान का सृजन करते हुए अथवा उस ग्राम पंचायत की उचित दर दुकान वर्तमान में रिक्त चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित फुटकर मिटटी तेल विक्रेता को उस ग्राम पंचायत की रिक्त/नवसृजित उचित दर की दुकान आवंटित किया जायेगा, बशर्ते शासनादेश संख्या-2715/29-6-2002-162-सा0/2001, दिनांक 17-8-2002 (यथा संशोधित) द्वारा निर्दिष्ट अनिवार्य अर्हताएं, शर्तें, आरक्षण व्यवस्था तथा 02 वर्ष की ख्याति इत्यादि के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो रही हों। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

4- अत: उपरोक्त दिनांकित 17-08-2002 शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(डा0 अशोक चन्द्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2018/301(1)/29-6-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त,खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
3. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,उ0प्र0।
4. समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त,खाद्य,उ0प्र0।
5. खाद्य एवं रसद अनुभाग-7
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।